W/R

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / एलआर /1839/2010/ जिला पाली

गोविन्दराम पुत्र श्री तुलसीराम कौम ब्राहमण निवासी रिया श्यामदास तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर।

.....प्रार्थी

बनाम

1– मंगलचन्द पुत्र बहादुरमल कौम ब्राहमण निवासी ग्राम पिपाडा तहसील जैतारण जिला पाली।

2– ग्राम पंचायत फालका जरिये सरपंच, पंचायत समिति जैतारण जिला पाली।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी ।

श्री एस.पी.सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 30–11–2012

1– यह निगरानी न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–3–2010 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 व धारा 9 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या एक ने न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 89/2007 बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व अभिलेख संशोधन हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें नियमित वाद–कार्यवाही विचाराधीन है। वाद में जिस नामान्तरकरण को चुनौती देते हुये अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा घोषणात्मक अनुतोष चाहा गया है, उसी नामान्तरकरण के विरूद्ध एक अपील संख्या 05/2007 अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, जैतारण) के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र

अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 05/2007 को वाद संख्या 89/2007 के निर्णय तक स्थगित रखने की प्रार्थना की। उपखंड अधिकारी जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 18–03–2010 द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल में पेश की गई है।

3– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जिस वादग्रस्त भूमि बाबत् वाद प्रस्तुत किया है, उसी विवादित आराजी के नामांतरकरण संख्या 100 को निरस्त कराने हेतु अलग से अधीनस्थ न्यायालय में अपील भी प्रस्तुत कर दी गयी है। अप्रार्थी द्वारा जब घोषणात्मक व अभिलेख संशोधन का वाद प्रस्तुत कर नामांतकरण को चनौती दे दी गयी है तो उसी नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। नामांतरकरण मात्र वित्तीय प्रयोजन से एक संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसमें पक्षकारान के कोई अधिकार तय नहीं हो सकते। प्रार्थी के हक में वर्ष 1978 में नामांतकरण संख्या 100 तस्दीक किया गया था जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लगभग 30 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायिक दृष्टान्त 1985 RRD 170 से समर्थन लेते हुय विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि जहां नियमित वाद लम्बित हो वहां नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 का प्रार्थना पत्र नियमों के विपरीत खारिज किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अभिकथन किया कि जिस नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की गई है वह मूल वाद से पूर्णतया भिन्न है। अप्रार्थी का मूल वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है जबकि अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई है। पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण को वैधानिक आधार पर किसी भी स्तर पर अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण के पश्चात ही मूल वाद एवं प्रस्तुत अपील को अलग अलग मानते हुये प्रार्थी का धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि नहीं होने से निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया

जाना चाहिये। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपील के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने का आदेश अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है, जिसके विरुद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84–ए के प्रावधानानुसार निगरानी पोषणीय नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में 2000 RRD 426, 2005 RBJ 402, 2007 RBJ 123 और 2008 (2) RRT 936 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि हस्तगत निगरानी अन्तरिम आदेश के विरुद्ध होने से व सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश का आद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन किया गया और विद्वान अभिभाषकगण के तर्कों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर मनन किया गया।

7– यह तथ्य विवादित नहीं है कि पक्षकारान के बीच जिस वादग्रस्त भूमि बाबत वादी/ अप्रार्थी का घोषणात्मक वाद चल रहा है, उसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में लगभग 30 साल पहले स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 100 को अपील के माध्यम से चुनौती दी गयी है। वाद में भी सारभूत रुप से उसी अभिलेख में संशोधन चाहा गया है जो कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 100 पर आधारित है। यद्यपि पत्रावली में नियमित वाद संख्या 89/2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी है तथापि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के प्रार्थनापत्र एवं जवाब प्रार्थनापत्र के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 100 को जरिये अपील चुनौती देकर जिस वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में संशोधन चाहा गया है, विचाराधीन वाद संख्या 89/2007 भी उक्त भूमि एवं अभिलेख के सम्बन्ध में ही है और दोनों ही प्रकरणों में वादग्रस्त भूमि, वादकरण में लिप्त पक्षकारान एवं वाद का बिन्दु एक समान है। अन्तर यह है कि एक प्रकरण संक्षिप्त कार्यवाही से सम्बन्धित है और एक प्रकरण नियमित वाद के सम्बन्ध में है। वादी द्वारा जो अनुतोष नियमित वाद में चाहा गया है वही अनुतोष नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील की संक्षिप्त कार्यवाही के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थनापत्र में प्रत्यक्षतः एवं निश्चित तौर पर (directly and specifically) इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है कि वाद में निहित वादग्रस्त भूमि एवं राजस्व अभिलेख ही नामान्तरकरण संख्या 100 की अपील में भी निहित है।

अप्रार्थी द्वारा धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र के जवाब प्रार्थनापत्र में यह अभिकथन किया गया है किः–

> ***"अपीलान्ट का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पेश किया हुआ है तथा यह म्यूटेशन अपील भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की हुई है। उक्त अपीलान्ट द्वारा पेश अपील को समरी प्रोसिडिंग के रुप में नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये म्यूटेशन को कानूनी आधार पर जरिये अपील चेलेंज किया जा सकता है जिसे वादी के वादपत्र से कतई सम्बन्धित नहीं माना जा सकता।"***

इस प्रकार यद्यपि अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र में यह स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि वाद एवं अपील का प्रयोजन अलग अलग है। किन्तु वस्तुतः सारभूत रुप से (substantially) दोनों का प्रयोजन एक ही है और वह है नामान्तरकरण संख्या 100 द्वारा प्रार्थी पक्ष के हक में दर्ज खातेदारी को निरस्त करा कर राजस्व अभिलेख को अपने नाम दर्ज कराना। इस प्रकार के प्रकरण पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– 1985 RRD 170 पूर्णतः चस्पा होता है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> *"Naturally the rights of the parties in respect of the land under mutation will finally be decided by the result of that suit. If two proceedings, one of summary nature and the other of a regular trial are allowed to proceed simultaneously, interest of justice requires that the summary proceedings ought to be stayed and parties should not be permitted to litigate over the same matter in different courts and in different proceedings. In my opinion every court has inherent powers to stay proceedings pending before it and whenever interest of justice requires to do so. Due to the circumstances stated above I feel it necessary to stay the summary proceedings so as to prevent multiplicity of summary proceedings and complications ….."*

8– हस्तगत निगरानी धारा 84 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी पक्ष का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 18–03–2010 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है और इस कारण यह आदेश निर्णीत प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है अपितु एक अन्तरिम आदेश है। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84–ए में प्रावधान है कि अन्तरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी विचारणीय नहीं है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– 2008 (2) RRT 936 प्रकरण के तथ्यों एवं प्रकृति की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण में सुसंगत नहीं है तथापि शेष सभी न्यायिक दृष्टान्त

अर्थात 2000 RRD 426, 2005 RBJ 402 और 2007 RBJ 123 अधिनियम, 1956 की धारा 84–ए के आधार पर ही पारित किये गये हैं और सभी में यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्तरिम आदेश के विरुद्ध निगरानी विचारणीय नहीं है। इस बिन्दु पर मेरा मत है कि **जिस आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है वह अन्तरिम आदेश (interim order) है अथवा अन्तःवर्ती या दर्मियानी आदेश (interlocutory order) है– यह देखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। दृष्टव्य रुप से दोनों प्रकार के आदेशों में अन्तर करने वाली रेखा अत्यन्त बारीक है किन्तु विधिक दृष्टि से दोनों का अन्तर काफी महत्वपूर्ण है। अन्तरिम आदेश (interim order) वह है जो किसी अग्रिम आदेश/दिनांक तक अथवा मूल प्रकरण के निर्णय तक के लिये जारी किया गया है और उक्त अग्रिम आदेश/दिनांक अथवा मूल प्रकरण के निर्णय के साथ ही उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जबकि अन्तःवर्ती या दर्मियानी आदेश (interlocutory order) वह आदेश है जो, यद्यपि मूल प्रकरण के दौरान प्रस्तुत किसी प्रार्थनापत्र ही पर पारित किया गया है किन्तु मूल प्रकरण के लम्बित होते हुये भी इस प्रकार पारित आदेश का प्रभाव दूरगामी व स्थायी है।** हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18–03–2010 का स्थायी प्रभाव यह है कि समान वादग्रस्त भूमि बाबत विवाद के समान बिन्दु के आधार पर समान पक्षकारान के मध्य दो अलग अलग प्रकरण चलते रहेंगे और अगर दोनों प्रकरणों में अलग अलग निर्णय हो जातें हैं तो पक्षकारान के मध्य एक नवीन विवाद उत्पन्न होगा और इससे वाद–बहुलता को बढावा मिलेगा। दूसरी तरफ अगर संक्षिप्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है तो नियमित वाद के अन्तिम निर्णय तक राजस्व अभिलेख की स्थिति यथारुप में बनी रहेगी और नियमित वाद में हक व अधिकारों का अन्तिम रुप से निर्णय होने पर पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादकरण को पूर्ण विराम लग जावेगा। इस विवेचना के आधार पर मेरा यह स्पष्ट मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18–03–2010 एक अन्तःवर्ती अथवा दर्मियानी आदेश (interlocutory order) है जिसका दूरगामी विधिक प्रभाव है। अतः ऐसे आदेश के विरुद्ध निगरानी पोषणीय है।

9– उपरोक्त अनुच्छेद 7 व 8 में की गयी विवेचना के आधार पर मेरा यह सुविचारित मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 18–03–2010 से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज करके क्षेत्राधिकार का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया है। उक्त आदेश विधिक एवं क्षेत्राधिकार

सम्बन्धी गंभीर त्रुटि से ग्रसित होने से हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है और आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 का प्रार्थनापत्र दिनांक 24–07–2007 स्वीकार किये जाने योग्य है।

10– परिणामतः हस्तगत निगरानी को एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 18–03–2010 को एतदद्वारा निरस्त करते हुये प्रार्थी गोविन्दराम द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र दिनांक 24–07–2007 को स्वीकार किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील प्रकरण संख्या 05/2007 उनवानी मंगलचन्द बनाम गोविन्दराम व अन्य की कार्यवाही को नियमित वाद संख्या 89/2007 उनवानी मंगलचन्द बनाम गोविन्दराम व अन्य के अन्तिम निर्णय तक स्थगित किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य